

योजना का नाम	सैनेट्री नैपकीन	
लाभ	निःशुल्क नैपकीन	सैनेट्री उपलब्ध कराया जाता है।
पात्रता / लाभार्थी	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बालिकाओं एवं महिला श्रमिकों हेतु।	

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा सैनेट्री नैपकीन उपलब्ध करवाये जाते हैं।

15- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों की लड़कियों तथा महिलाओं को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाना।

15- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों की लड़कियों तथा महिलाओं को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाना।

15- पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों की लड़कियों तथा महिलाओं को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाना।